



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
और
सल्तनत ऑफ ओमान सरकार
के बीच
अपने-अपने मू-भागों के बीच तथा उनसे परे हवाई सेवाओं के लिए करार

भारत सरकार और सल्तनत ऑफ ओमान सरकार

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं,

जो अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों के बीच तथा उनसे परे हवाई सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त अभिसमय के अनुपूरक के रूप में एक करार को अंतिम रूप देना चाहते हैं,

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद-1
परिभाषाएँ

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के प्रयोजन के लिए:

क॥ "अभिसमय" पद का आशय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है, और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 और 94 के अधीन अनुबंधों या अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल होगा जहां तक ये अनुबंध और संशोधन दोनों सविदाकारी पक्षों पर लागू हों या उनके द्वारा इनका अनुसमर्थन कर लिया गया हो,

ख॥ "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय भारत सरकार के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसे इस समय उक्त नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निष्पादित कार्यों या उसी प्रकार के कार्यों के



: 2 :

निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया हो और सल्लतनत ऑफ ओमान सरकार के मामले में संचार मंत्री और किसी व्यक्ति या संस्था से है जिसे इस समय उक्त मंत्री द्वारा निष्पादित या इसी प्रकार के कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

ग १ "नामित विमान कंपनी" पद का आशय ऐसी विमान कंपनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो,

घ १ "भू-भाग" पद का आशय किसी भी राष्ट्र के मामले में वही है जो उसे अभिसमय के अनुच्छेद 2 में दिया गया है,

ङ १ "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन", और "यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रुकना" पदों का आशय वही है जो कि उन्हें क्रमशः अनुच्छेद 96 में दिया गया है,

च १ विमान के संदर्भ में "क्षमता" पद का आशय किसी भी मार्ग पर या उस मार्ग के किसी भी खंड पर उपलब्ध उस विमान के पेलोड से है और "सम्मत सेवा" के संदर्भ में ऐसी सेवा में प्रयुक्त विमान से किसी निश्चित अवधि में किसी भी मार्ग या उसके खंड पर परिचालित आवृत्ति के द्वारा गुणित विमान की क्षमता से है,

छ १ "मार्ग अनुसूची" पद का आशय इस करार के साथ संलग्न मार्ग अनुसूची और इस करार के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार यथा-सम्मत उसके किसी भी संशोधन से है। मार्ग अनुसूची इस करार का अभिन्न अंग होगा, और

ज १ "सम्मत सेवाएं" पद का आशय उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता, सेवाओं की आवृत्ति और सेवा की किस्म से है, अर्थात् क्या यह सेवा दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर गुजरती है या उसमें समाप्त होती है जैसा कि वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन से सविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों के बीच सहमति हुई है।



अनुच्छेद-2
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष दूसरे सविदाकारी पक्ष को, इस करार की मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने और परिचालित करने के प्रयोजन से इस करार में निर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है। प्रत्येक सविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी को, निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का परिचालन करते हुये, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे,

- क॥ बिना उतरे हुये दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,
- ख॥ यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिये उसके भू-भाग में रुकना, और
- ग॥ प्रस्तुत करार की मार्ग अनुसूचियों में निहित उपबंधों के अधीन निर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी स्थान पर यात्री, कार्गो और डाक को विमान में लेना और उतारना ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि किसी भी एक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, दूसरे सविदाकारी पक्ष के किसी स्थान से, पारिश्रमिक या किराये हेतु उस दूसरे सविदाकारी पक्ष के किसी स्थान को यात्री, कार्गो या डाक विमान से ले जाने का अधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद-3
एयरलाइनें नामित करना

1. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का परिचालन करने हेतु दूसरे सविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में सूचित करते हुये दो से अनधिक विमान कंपनियों नामित करने का अधिकार होगा ।

2. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद दूसरा सविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ३ और 4 के उपबंधों के अधीन बिना विलंब के नामित विमान कंपनी ॥ कंपनियों ॥ को उपयुक्त परिचालन संबंधी प्राधिकार मंजूर करेगा ।



3. एक सौविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे सौविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी {कंपनियों} से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह संतुष्ट करें कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन पर लागू किये जाते हैं।

4. प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष को, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित परिचालन प्राधिकार मंजूर करने से अस्वीकार करने अथवा किसी भी नामित विमान कंपनी {कंपनियों} द्वारा इस करार के अनुच्छेद-2 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे यदि उसे संतोष न हो कि उस विमान कंपनी {कंपनियों} का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण विमान कंपनी {कंपनियों} को नामित करने वाले सौविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रों में निहित है।

5. जब एक विमान कंपनी इस प्रकार से नामित और प्राधिकृत की जाती है तो वह सम्मत सेवाओं का परिचालन शुरू कर सकती है बशर्ते कि अनुच्छेद 8 और 10 की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं और इस करार के अनुच्छेद 9 के उपबंधों के अनुसार स्थापित टैरिफ उस सेवा के संबंध में लागू है।

अनुच्छेद-4

प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहत करना अथवा रोक देना

1. प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष को दूसरे सौविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी को, इस करार के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट परिचालन प्राधिकार प्रतिसंहत करने या अधिकारों का प्रयोग रोक देने अथवा ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो वह इन अधिकारों के प्रयोग पर लगाना आवश्यक समझे :-

क} किसी भी ऐसे मामले में जहां उसे यह संतोष न हो कि उस विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, विमान कंपनी को नामित करने वाले सौविदाकारी पक्ष या ऐसे सौविदाकारी पक्ष के राष्ट्रों में निहित है, अथवा

ख} यदि वह विमान कंपनी इन अधिकारों को मंजूर करने वाले सौविदाकारी पक्षों के कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहती है, अथवा



ग॥ यदि वह विमान कंपनी इस करार के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार परिचालन में असफल रहती है ।

2. जब तक कानूनों और विनियमों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिये इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित परिचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण या निलंबन अथवा उसमें शर्तों का आरोपण अनिवार्य न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे सौविदाकारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही किया जाएगा ।

3. एक सौविदाकारी पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन की गई कार्रवाई का, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दूसरे सौविदाकारी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद-5

सीमा-शुल्क और अन्य शुल्कों से छूट

1. दोनों में से किसी सौविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी/कंपनियों/ द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर परिचालित विमान तथा ईंधन, स्नेहक तेल, अतिरिक्त पुर्जे, नियमित उपस्कर और विमान भंडार की सप्लाई / खाद्य मादक एवं तम्बाकू सहित /, जो कि दूसरे सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ले जाया गया हो अथवा उस भूभाग में विमान में लिया गया हो तथा उसका उपयोग केवल उस एयरलाइन के विमान द्वारा किया जाना हो, उस दूसरे सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क या ऐसे ही अन्य शुल्कों या प्रभारों से मुक्त रहेगी चाहे ऐसी सप्लाई का उपयोग ऐसे विमान द्वारा उस भू-भाग में उड़ानों पर किया गया हो ।

2. एक सौविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी/कंपनियों/ द्वारा विमान में रखे गये ईंधन, स्नेहकों की सप्लाई, फालतू क्ल-पुर्जे, विमान के नियमित उपस्कर और विमान भंडार /जिसमें खाद्य, मादक पदार्थ और तम्बाकू शामिल है/ दूसरे सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्कों या प्रभारों से मुक्त रहेंगे भले ही उक्त सप्लाई का उस विमान द्वारा उस भू-भाग में उड़ानों के दौरान उपयोग किया गया हो । छूट प्राप्त सामान को दूसरे सौविदाकारी पक्ष के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन के बाद ही उतारा जा सकेगा । पुनः निर्यात किए जाने वाले सामान को पुनः निर्यात किए जाने तक सीमा-शुल्क अधिकारियों की निगरानी में बंधक रखा जाएगा ।



3. दोनों में कोई भी सौविदाकारी पक्ष अपने नियंत्रणधीन हवाई अड्डे और अन्य सुविधाओं का दूसरे सौविदाकारी पक्ष से नामित विमान कंपनी {कंपनियों} द्वारा उपयोग किये जाने पर जो भी प्रभार लगायेगा, अथवा लगाये जाने की अनुमति देगा, वह उससे अधिक नहीं होगा जो उसके निकटस्थ राष्ट्र की विमान कंपनियों अथवा सौविदाकारी पक्ष की ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी राष्ट्रीय विमान कंपनी द्वारा ऐसे हवाई अड्डों और सुविधाओं के प्रयोग के लिये अदा किया जा रहा हो ।

अनुच्छेद-6

कानूनों और विनियमों की प्रयोज्यता

1. प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम, किसी एक सौविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी के विमान द्वारा दूसरे सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने, वहां रुके रहने, वहां से प्रस्थान करने और उसक ऊपर से उड़ानें भरने के दौरान उसके दिक्चालन और परिचालन पर भी लागू होंगे ।
2. प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियों, कर्मिंदल और कार्गो के प्रवेश करने अथवा वहां से प्रस्थान करने से संबंधित प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम विशेष रूप से पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा, चिकित्सा और संगरोध की औपचारिकताओं से संबंधित विनियम दूसरे सौविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी {कंपनियों} के विमान में पहले सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने अथवा वहां से प्रस्थान करने वाले यात्रियों, कर्मिंदल और कार्गो पर लागू होंगे।
3. प्रत्येक सौविदाकारी राष्ट्र की नामित विमान कंपनी {कंपनियों} अपने विमान के दूसरे सौविदाकारी राष्ट्र के भू-भाग में प्रवेश करने, वहां रुके रहने अथवा वहां से प्रस्थान करने के दौरान वहां पशुओं और पौधों को ले जाने अथवा वहां से बाहर लाने के लिए दूसरे सौविदाकारी राष्ट्र के नियमों का पालन करेगी ।

अनुच्छेद-7

सम्मत सेवाओं के प्रचालनों के प्रशासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों सौविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों को अपने भू-भागों के बीच निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का परिचालन करने का उचित और समान अवसर



उपलब्ध होगा ।

2. सम्मत सेवाओं का परिचालन करते समय प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी {कंपनियों}, दूसरे सविदाकारी पक्ष की विमान कंपनी {कंपनियों} के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरी विमान कंपनी द्वारा उस संपूर्ण मार्ग पर या उसके किसी खण्ड पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

3. सविदाकारी पक्षों की नामित कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सम्मत सेवाओं का निर्दिष्ट मार्गों पर यात्रियों के परिवहन से संबंधी आवश्यकताओं से निकट संबंध होगा और उनके मूल उद्देश्यों के अनुरूप, उसे {उन्हें} नामित करने वाले सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के किसी स्थान से आने वाले या उस स्थान तक जाने वाले यात्रियों, माल और डाक के वहन के लिए मौजूदा और समुचित रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त भार गुणक के अनुसार विमान क्षमता की व्यवस्था करेगा। विमान कंपनी {कंपनियों} को नामित करने वाले राष्ट्रों को छोड़कर अन्य राष्ट्रों के भू-भागों में निर्दिष्ट मार्गों पर डाक सहित यात्रियों और माल को विमान में ले जाने और उतारने की व्यवस्था विमान कंपनी द्वारा नीचे दी गई बातों से संबंधित क्षमता के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप की जाएगी :-

क} विमान कंपनी {कंपनियों} को नामित करने वाले सविदाकारी पक्ष के भू-भाग तक और वहां से यातायात संबंधी आवश्यकताएं,

ख} ऐसी अन्य परिवहन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिन्हें उक्त भू-भाग के राष्ट्र की विमान कंपनियों द्वारा स्थापित किया गया हो, उस क्षेत्र की यातायात संबंधी आवश्यकताएं जहां से होकर सम्मत सेवाएं प्रचालित की जानी है, और

ग} सीधी पर्यटन प्रचालन संबंधी आवश्यकताएं ।

अनुच्छेद-8

समय-सारणी का अनुमोदन

प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी {कंपनियों}, निर्दिष्ट मार्गों पर सेवाओं के शुरू होने से अधिक से अधिक तीस {30} दिन पूर्व प्रयोग में लाये जाने वाले विमान की किस्म सहित उड़ान समय-सारणी दूसरे सविदाकारी पक्ष के विमानिकी



प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी ।

अनुच्छेद-9
टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराओं के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" शब्द का आशय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिए अदा किये जाने वाले मूल्य तथा उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये मूल्य लागू होते हैं और इनमें एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं के मूल्य एवं शर्तें शामिल हैं परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और उससे संबंधित शर्तें शामिल नहीं हैं।

2. एक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी {कंपनियों} द्वारा दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग से या उस तक वहन के लिये वसूल किये जाने वाला टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा § 2 में निर्दिष्ट टैरिफ के बारे में यदि संभव हो, तो दोनों सविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों के बीच संपूर्ण मार्ग या उसके किसी भाग में परिचालन कर रही किसी अन्य विमान कंपनी के साथ परामर्श से सहमति होगी और ऐसा करार जहां तक संभव हो सके टैरिफों के निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ या ऐसी अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त औद्योगिक संस्था की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

4. इस प्रकार सम्मत टैरिफ, उसके लागू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम पैतालिस § 45 दिन पूर्व दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह अवधि कुछ विशेष मामलों में उक्त प्राधिकारियों की सहमति से कम की जा सकती है।

5. यह अनुमोदन शीघ्र दिया जाएगा, यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ § 4 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के तीस § 30 दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए अपनी अस्वीकृति न दी हो तो इन टैरिफों को अनुमोदित मान लिया जाएगा। पैरा 4 में किए गए प्रावधान के अनुसार यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम किया जाता है तो वैमानिकी प्राधिकारी आपस में सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृति की



अवधि जिसमें इसे अधिसूचित किया जा सकता है, तीस §30§ दिन से कम की होगी।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैरा §3§ के अनुसार इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं होती है या इस अनुच्छेद के पैरा §5§ के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे वैमानिकी प्राधिकारी को इस अनुच्छेद के पैरा §3§ के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित टैरिफ पर अपनी असहमति का नोटिस देता है तो दोनों सौविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैरा §4§ के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफ के अनुमोदन अथवा इस अनुच्छेद के पैरा §6§ के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सके तो इस करार के अनुच्छेद 13 के उपबंधों के अनुसार इस मामले का निपटारा किया जाएगा।

8. जब तक नये टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता तब तक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ लागू रहेंगे। तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह §12§ महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्वया समाप्त हो जाता।

अनुच्छेद-10

सूचना का आदान-प्रदान

1. दोनों सौविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी, उनकी नामित विमान कंपनी §कंपनियों§ को दूसरे सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग के लिए, वहां से होकर और उस भू-भाग से सेवा प्रचालित करने हेतु उन्हें मंजूर किए गए मौजूदा प्राधिकार से संबंधी सूचना को, यथासंभव शीघ्र, आदान-प्रदान करेंगे। इसमें चालू प्रमाणपत्र और निर्दिष्ट मार्गों पर सेवाओं के लिए प्राधिकार-पत्र संशोधन फ्लूट आदेश और प्राधिकृत सेवा पद्धति से संबंधी दस्तावेज शामिल होंगे।

2. प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कंपनी §कंपनियों§ से यह अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे सौविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, जितनी जल्दी संभव हो सके, टैरिफ की प्रतियां, अनुसूचियां, उसमें किये कोई भी संशोधनों सहित, और सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना देगी



और ऐसी सूचना भी देगी जिसमें प्रत्येक विनिर्दिष्ट मार्गों पर उपलब्ध करायी जा रही क्षमता के बारे में सूचना तथा ऐसी सूचना दी गई हो जिससे वैमानिकी प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो सके कि वर्तमान करार की अपेक्षाओं का विधिवत ढंग से पालन किया जा रहा है।

3. प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कंपनी {कंपनियों} से यह अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे सौविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को सम्मत सेवाओं पर वाहित किए गए यात्रियों से संबंधित आंकड़े जिसमें यात्रियों के विमान में सवार होने तथा उतरने के स्थानों को दिखाया गया हो, प्रस्तुत करेंगी।

अनुच्छेद-11

उजस्व का हस्तांतरण

1. प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष, दूसरे सौविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी {कंपनियों} को प्रथम सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियों, डाक और माल को लाने ले जाने के संबंध में विमान कंपनी {कंपनियों} द्वारा व्यय से अधिक अर्जित आय चालू अदायगियों के लिए प्रवृत्त विदेशी मुद्रा बाजार दर के आधार पर हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान करेगा।

2. यदि एक सौविदाकारी पक्ष दूसरे सौविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी {कंपनियों} पर उस सौविदाकारी पक्ष द्वारा व्यय से अधिक अर्जित आय के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है तो दूसरे सौविदाकारी पक्ष को पहले सौविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी {कंपनियों} पर उसी आधार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-12

परामर्श

1. निकट सहयोग की भावना से, दोनों सौविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इस करार के उपबंधों तथा इसके साथ संलग्न अनुसूचियों के संतोषजनक कार्यान्वयन एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय समय पर आपस में परामर्श करेंगे और जब कभी उसमें आशोधन आवश्यक हो, आपस में सलाह मशविरा करेंगे।

2. दोनों में से कोई भी सौविदाकारी पक्ष लिखित रूप में परामर्श के लिए अनुरोध



कर सकता है। ऐसा परामर्श अनुरोध प्राप्ति की तारीख से साठ § 60§ दिन की अवधि के भीतर शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि दोनों सौविदाकारी पक्ष इस अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत न हों।

अनुच्छेद-13 विवाद का निपटन

यदि इस प्रकार के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो दोनों सौविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपस में बातचीत द्वारा इसे निपटने का प्रयास करेंगे। इसमें असफल रहने पर विवाद को द्विपक्षीय विचार-विमर्श द्वारा निपटन के लिए सौविदाकारी पक्षों के पास भेजा जाएगा या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लिखित निपटन की ऐसी अन्य पद्धतियों द्वारा निपटया जाएगा जिन पर सौविदाकारी पक्ष आपस में सहमत हों।

अनुच्छेद-14 विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, सौविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना सौविदाकारी पक्ष, 14 सितम्बर, 1963 को टेक्यो में हस्ताक्षरित, विमान में किये गए अपराधों एवं कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर सौविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कर्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए या नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य धमकी के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे।



3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंध के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं, वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके क्षेत्र में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे ।

4. दोनों में से प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे सौविदाकारी पक्ष द्वारा उस सौविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय अपेक्षित ऊपर पैराग्राफ ३ में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है । प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके भू-भाग में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मियों, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पूर्व या उसके दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं । प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे सौविदाकारी पक्ष द्वारा किये गए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

5. जब कभी किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की घमकी या इस प्रकार की घमकी की घटना होती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कर्मियों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो सौविदाकारी पक्ष एक दूसरे को संचार सुविधाएं प्रदान करेंगे और इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

अनुच्छेद-15

बहुपक्षीय अभिसमयों को अपनाना

हवाई परिवहन से संबंधी किसी भी बहुपक्षीय अभिसमय या करार को सम्पन्न करते समय, जिस पर दोनों सौविदाकारी पक्ष दृढ़ हों, इस करार में इस प्रकार आशोधन किया जाएगा कि यह ऐसे अभिसमय या करार के उपबंधों के अनुरूप हो सके ।



अनुच्छेद-16
संशोधन

1. यदि कोई भी सविदाकारी पक्ष इस करार के किसी उपबंध में, मार्ग अनुसूचियों सहित, जिन्हें इस करार के एक भाग के रूप में माना जाएगा, संशोधन करना चाहता है तो वह इस करार के अनुच्छेद 12 के अनुसार ऐसा परामर्श करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श पत्राचार द्वारा हो सकता है।
2. यदि संशोधन मार्ग अनुसूचियों के अलावा करार के उपबंधों से संबंधित है तो संशोधन प्रत्येक सविदाकारी पक्ष द्वारा उनकी संवैधानिक पद्धति के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा और यह राजनीतिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान से पुष्टि किए जाने पर लागू हो सकेगा।
3. यदि संशोधन केवल मार्ग अनुसूचियों के उपबंधों से संबंधित है, तो यह दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति से होगा।

अनुच्छेद-17
अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकरण

यह करार और इससे संबंधित कोई भी संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद-18
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी सविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे सविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय के बारे में नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस सद्य-सद्य ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। ऐसे मामले में दूसरे सविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारह §12§ मास के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व ही वापस न ले लिया गया हो। दूसरे सविदाकारी पक्ष से पावती प्राप्त न होने की



सत्यमेव जयते

स्थिति में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह §14§ दिन बाद यह नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा ।

अनुच्छेद-19

अनुबंध

इस करार का अनुबंध करार का एक भाग माना जाएगा और उसके सिवाय जहां अन्यथा व्यवस्था न हो, इस करार से संबंधित सभी संदर्भों में, इस अनुबंध से संबद्ध संदर्भ भी शामिल होंगे।

अनुच्छेद-20


प्रवर्तन में आना

यह करार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की संवैधानिक अपेक्षाओं के पूरा होने और इस संबंध में राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान के बाद इस पर आघात होने की तारीख से अस्थाई रूप से और हस्ताक्षर होने की तारीख से निश्चित रूप से प्रवर्तन में आ जाएगा।

इसके साक्ष्य में, निम्नलिखित सर्वाधिकारियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किये जाने पर इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

दिनांक 31 मई, 1995 को नई दिल्ली में हिन्दी, अरबी, तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षर किये गए जिनमें से सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। यदि इसके निर्वचन में कोई मतभेद हो तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।


§ गुलाम नबी आजाद §
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री
कृते भारत सरकार


§ सालिम बिन अब्दुल्ला अल-गजाती §
संचार मंत्री
कृते सल्तनत ऑफ ओमान सरकार



अनुबंध
अनुसूची-1

1. भारत की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले मार्ग ।

से	तक	बीच के स्थल	परे के स्थल
1	2	3	4

मार्ग-1	भारत में स्थल	मस्कट	स्थल तय होने हैं	ब्रिटेन को छोड़कर यूरोप में कोई भी एक स्थल तथा एक स्थल उत्तरी अमरीका में।
मार्ग-2	भारत में स्थल	मस्कट	स्थल तय होने हैं	स्थल तय होने हैं।

2. भारत की नामित विमान कंपनी {कंपनियां} सभी उड़ानों पर या किसी भी उड़ान पर ऊपर स्तंभ {3} व {4} में दिए गए किसी भी स्थल के लिए प्रचालन छोड़ सकती है, बशर्ते कि इन मार्गों पर सम्मत सेवाएं स्तंभ {1} में दिए गए किसी स्थल से आरंभ होती हों ।

3. मार्ग-1 पर, भारत की नामित एयरलाइनों को मस्कट और ब्रिटेन को छोड़कर किसी भी यूरोपीय स्थल एवं उत्तरी अमेरिका के किसी भी स्थल के बीच पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों को क्रियान्वित करने की अनुमति होगी ।



अनुबंध
अनुसूची-2

1. ओमान की सल्तनत की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले मार्गः

से	तक	बीच के स्थल	परे के स्थल
1	2	3	4

मार्ग-1 ओमान में स्थल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिकेन्द्रम स्थल तय होने हैं तीन स्थल तय होने हैं

मार्ग-2 ओमान में स्थल त्रिकेन्द्रम स्थल तय होने हैं स्थल तय होने हैं

2. ओमान की सल्तनत की नामित विमान कंपनी {कंपनियां} सभी उड़ानों पर या किसी भी उड़ान पर ऊपर स्तंभ {3} व {4} में दिए गए किसी भी स्थल के लिए प्रचालन छोड़ सकती है, बशर्ते कि इन मार्गों पर सम्मत सेवाएं स्तंभ {1} में दिए गए किसी स्थल से आरंभ होती हों।

3. भारत और भारत के परे के स्थलों के बीच पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता ।

4. किसी भी एक सेवा में भारत में एक से अधिक स्थल पर प्रचालन नहीं किया जाएगा।



اتفاقية

بين

حكومة الهند

و

حكومة سلطنة عمان

بشأن الخدمات الجوية
بين إقليميهما وماوراءهما



اتفاقية بين

حكومة الهند

و

حكومة سلطنة عمان

بشأن الخدمات الجوية
بين إقليميهما و ماوراءهما

ان حكومة الهند وحكومة سلطنة عمان بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٤ .

ورغبة منهما في عقد اتفاقية متممة للمعاهدة المذكورة ، بغية اقامة خدمات جوية بين اقليميهما و ماوراءهما .

قد اتفقتا على مايلي :-



مادة (١)

تعاريف

لاغراض هذه الاتفاقية ، ومالم يقتضى النص خلاف ذلك :-

- (أ) تعنى عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التى عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٤ وتشمل اي ملحق يعتمد استنادا للمادة (٩٠) من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و (٩٤) منها شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من كل من الطرفين المتعاقدين .
- (ب) تعنى عبارة " سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة سلطنة عمان ، وزير المواصلات أو أي شخص أو هيئة يخول ممارسة الصلاحيات المناطة به حاليا أو صلاحيات مماثلة ، وبالنسبة لحكومة الهند ، مدير عام الطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يخول ممارسة الصلاحيات المناطة به حاليا أو صلاحيات مماثلة .
- (ج) تعنى عبارة " شركة الطيران المعينة " شركة الطيران التى يكون قد جرى تعيينها ورخص لها بموجب المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
- (د) يكون لعبارة " اقليم " بالنسبة لأي دولة المعنى المحدد لها في المادة الثانية من المعاهدة .



(هـ) يكون لعبارات " خدمة جوية " و " خدمة جوية دولية " و " شركة طيران " و " الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المحددة لكل منها في المادة السادسة والتسعين من المعاهدة .

(و) يكون لعبارة " السعة " بالنسبة " لأي طائرة " السعة المحققة للإيراد والمتاحة لهذه الطائرة على الطريق أو على قطاع منه وبالنسبة " للخدمة المتفق عليها " سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات استثمار هذه الطائرة في فترة معينة على طريق معين أو قطاع منه .

(ز) تعنى عبارة " جدول الطرق " جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية وأية تعديلات تدخل عليه حسبما يتفق عليه وفقاً لأحكام المادة ١٦ من هذه الاتفاقية . ويشكل جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

(ح) تعنى عبارة " الخدمات المتفق عليها " السعة التي يجب توفيرها ، عدد مرات الخدمات وطبيعة الخدمة ، أي المرور عبر أو الانتهاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لما يتفق عليه بين شركات الطيران المعنية للطرفين المتعاقدين وبموافقة من السلطات المعنية .



المادة (٢)

منح الحقوق

(١) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغية اقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جداول الطرق الملحقه بهذه الاتفاقية . ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيما يأتي بعد " الخدمات المتفق عليها " و " الطرق المحددة " على التوالي . وتتمتع شركة الطيران المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين ، اثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد ، بالحقوق التالية :

- أ - التحليق بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر .
- ب - التوقف في الاقليم المذكور لأغراض غير تجارية .
- ج - أخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة وفقا لاحكام الواردة في جداول الطرق الملحقه بهذه الاتفاقية .

(٢) ليس في نص الفقرة الأولى من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تأخذ ، من اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، الركاب ، البضائع ، والبريد لقاء بدل أو اجر الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر .



مادة (٢) تعين شركات الطيران

- (١) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يعين . ويخطر الطرف المتعاقد الاخر بذلك كتابة . شركة طيران واحدة او شركتين بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة .
- (٢) مع مراعاة احكام الفقرتين ٢ و ٤ من هذه المادة . على الطرف المتعاقد الاخر فور تسلمه لهذا الاخطار منع شركة الطيران المعنية تراخيص الاستثمار اللازمة دون ابطاء .
- (٣) يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات استيفائها للاشتراطات المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة مقبولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام المعاهدة .
- (٤) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو فرض مايراه ضروريا من شروط على ممارسة الشركة المعنية للحقوق المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية وذلك في اية حالة لايقنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه .
- (٥) يجوز للشركة المعنية والمرخص لها على هذا النحو . البدء في أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون قد التزمت بأحكام المادتين الثامنة والعاشرة وأن تكون قد وضعت تعرفه وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية وأن هذه التعرفه قد اصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة .



مادة (٤)

الغاء أو وقف العمل بتراخيص الاستثمار

- (١) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق الغاء ترخيص الاستثمار أو وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو فرض مايراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك :-
- (أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه . أو
- (ب) في حالة إخفاق الشركة المذكورة في التقيد بالقوانين أو الانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق ٠٠٠٠٠٠ او
- (ج) في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية .
- (٢) لا يتم الالغاء او الوقف او فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (١) من هذه المادة الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر مالم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين والانظمة .
- (٣) لايجوز المساس بحقوق الطرف المتعاقد الآخر والمبينة بالمادة ١٢ من هذه الاتفاقية في حالة اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين للاجراءات الواردة أعلاه .



مادة (هـ)

الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى

(١) تعفى الطائرات التي تستثمر في الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران المعنية من أي من الضرائب المتعاقدين وكذلك امدادات الوقود، وزيوت التشحيم، وقطع الغيار والمعدات المعادية للطائرات وموزن الطائرات (بما في ذلك الاطعمه والمشروبات والتبغ) . عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وضعها على طائرة في ذلك الاقليم يخضع استخدامها فقط بواسطة أو على متن طائرات تلك الشركة، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم أو ضرائب معاملة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى لو استهلكت تلك الامدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الاقليم .

(٢) تعفى امدادات الوقود، وزيوت التشحيم، وقطع الغيار والمعدات المعادية للطائرات وموزن الطائرات (بما في ذلك الاطعمه والمشروبات والدخان) ، والتي يحتفظ بها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعنية من قبل احد الطرفين المتعاقدين، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم أو ضرائب معاملة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى لو استهلكت تلك الامدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الاقليم، ولايجوز انزال البضائع المعفاة وفقا لذلك الا بموجب سلاطات الجمارك في المطرف المتعاقد الاخر . وتوضع البضائع المعفاة لاعادة تصديرها تحت الرقابة الجمركية حتى يعاد تصديرها تحت اشراف السلطات الجمركية .

(٣) لايجوز ان تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الاخرى الواقعة تحت ادارته اعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المسارات والتسهيلات الأخرى .



تطبيق القوانين والانظمة

أداة (١)

- (١) تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى أى من الطرفين المتعاقدين على ملاحه واستثمار طائرات شركة الطيران المعينه من قبل احد الطرفين المتعاقدين اثناء دخولها الى . وبثاتها في . وخروجها من . أو عبورها فوق اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

- (٢) تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى أى من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول أو خروج الركاب واطقم الطائرات والبضائع الى أو من اقليمه وبخاصة معاملات الجوازات والجمارك والعملة والاجراءات الطبية والحجر الصحي . على الركاب واطقم الطائرات والبضائع التي تصل الى أو تخرج من اقليم احد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركة الطيران المعينه من قبل الطرف المتعاقد الاخر .

- (٣) تلتزم شركات الطيران التي تعينها كل من الدولتين المتعاقبتين بتطبيق قوانين الدولة الاخرى فيما يتعلق بادخال الحيوانات والنباتات التي أرضها أو اخراجها منها . وذلك اثناء دخول طائراتها اقليم تلك الدولة أو وجودها فيه أو مغادرتها .



مادة (أ)

الموافقة على جداول الرحلات

تعرض شركات الطيران المعنية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طرز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة . وينطبق ذلك أيضا على اية تغييرات لاحقه . ويجوز انقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة .



مادة (٩)

التعرفة

- (١) يقصد بعبارة "التعرفة" فيما يتعلق بالفقرات التالية الاسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الاسعار بما في ذلك الاسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها اجور وشروط نقل البريد .
- (٢) تحدد التعريفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل الى ومن اقليم الطرف المتعاقد الاخر في مستويات معقولة مع الاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والرابع المعقول وتعرفات شركات الطيران الأخرى .
- (٣) أن التعريفات المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة يجب . أن امكن المرافقة عليها من قبل شركات الطيران المعنية التابعة لكل ممن الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع شركات الطيران الاخرى التي تستغسر كامل الطريق أو جزء منه . ويتم هذا الاتفاق . كلما كان ذلك ممكنا . باستخدام الاجراءات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي او أى هيئة مماثلة معترف بها دوليا بالنسبة لتحديد التعريفات .
- (٤) تقدم التعريفات المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه ، الى سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للمرافقة عليها وذلك قبيل خمسة واربعين يوما على الاقل قبل اليوم المقرر لتطبيقها . ويجوز . في حالات خاصة ، انقاص هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة .



(٥) يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح ، ولكن اذا لم تعلن اي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . تعتبر تلك التعريفات بانها موافق عليها . وفي حالة اختصار المدة المحددة لتقديم التعريفات طبقا للفقرة الرابعة فيجوز لسلطات الطيران ان تتفق على تخفيض المدة التي يلزم فيها الاخطار بعدم الموافقة عن ثلاثين (٢٠) يوما .

(٦) اذا تعذر الاتفاق على تعرفه وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة أو اذا اخطرت احدى سلطات الطيران ، خلال المدة المبينة بالفقرة الخامسة من هذه المادة ، سلطات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على تعرفه متفق عليها طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ، محاولة تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما .

(٧) اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أى تعرفه معروضة عليها بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة او على اية تعرفه بموجب الفقرة السادسة من هذه المادة فيجب تسوية الخلاف وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية .

(٨) تظل التعرفة التي توضع بموجب احكام هذه المادة سارية الى حين وضع تعرفه جديدة . ومع ذلك لايجوز استنادا الى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعرفة لاكثر من اثني عشر شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهائها .



مادة (١٠)

تبديل المعلومات

(١) تتبادل سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين . وفي أسرع وقت ممكن . المعلومات الخاصة بالتراخيص النافذة المفعول والمنسوحة لشركة الطيران المعنية من قبل كل منهما لتقديم الخدمة الى وعبر ومن اقليم الطرف المتعاقد الآخر . ويشتمل ذلك على نسخ من الشهادات والتراخيص النافذة المفعول للخدمات على الطرق المحددة بالاضافة الى التعميلات وأوامر الاعفاء ونماذج الخدمة المرخص بها .

(٢) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركة الطيران المعنية من قبله امداد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر . مسبقا بوقت كاف حسب الامكان . بنسخ من التعريفات والجداول بما في ذلك اى تعديل لها وكافة المعلومات الاخرى المتعلقة باستعمار الخدمات المتفق عليها . ويشمل ذلك البيانات الخاصة بالسعة المعروضة على كل من الطرق المحددة وأي معلومات اخرى قد تكون مطلوبة لاقناع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر بالمراجعة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية .

(٣) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركة الطيران المعنية من قبله أن تعد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بالبيانات الاحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع تبين نقاط المنشأ والمقصد .



مادة (١١)

تمويل فائض الإيرادات

- ١) يمنع كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر حق تحويل فائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها الشركة في اقليم الطرف المتعاقد الاول مقابل نقل الركاب والبريد والبضائع على ان يتم ذلك على اساس الاسعار السائدة للمعامل الأجنبية للمدفوعات الجارية .
- ٢) اذا فرض احد الطرفين المتعاقدين أية قيود على تحويل فائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر يكون لهذا الطرف الحق في فرض قيود مماثلة على شركة الطيـــــــران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول .



مادة (١٢)

تسوية المنازعات

إذا نشأ أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، فعلى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين محاولة تسويته عن طريق التفاوض فيما بينهما ، وإذا أخفقوا يحال النزاع إلى الطرفين المتعاقدين لتسويته عن طريق المباحثات الثنائية أو بوسائل التسوية الأخرى المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة حسبما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان .



مادة (١٤)

أمن المطارات

- (١) يؤكد الطرفان المتعاقدان ، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ، أن التزامات كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . وبدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ، فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع احكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن المطارات . والموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٦٣ . ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على المطارات . الموقعة في لاهاي بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٧٠ . ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني . الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧١ .

- (٢) يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للاخر كل معارضة ضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على المطارات المدنيــــــــــــــــة وغيرها من الافعال غير المشروعة ضد سلامة هذه المطارات ، ركايبها وطاقمها . المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية ، وأى تهديد آخر لأمن الطيران المدني .

- (٣) يعمل الطرفان ، في نطاق علاقاتهما المشتركة ، بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والورادة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك الى المدى الذي تنطبق فيه



هذه الاحكام الامنية بالنسبة للطرفين ، ويطلبان من مستغرى الطائرات المسجلة لديهما أو مستغرى الطائرات الذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر اقامتهم الدائمة في اقليميهما ومستغرى المطارات في اقليميهما ضرورة العمل بما يتطلب مع احكام أمن الطيران المذكورة .

(٤) يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستغرى الطائرات المذكورين مراعاة احكام أمن الطيران المشار اليها في الفقرة ٢ أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بشأن الدخول الى ، الخروج من ، أو اثناء الوجود في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكيد من التطبيق الفعال للتدابير الثلاثة داخل اقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب ، الطاقم ، المواد المحمولة ، الامتعة ، البضائع . مخازن الطائرات قبل واثناء الصعود والتحميل . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضا اعطاء الاعتبار المتعاطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة بمقوله لمواجهته تهديد معين .

(٥) يطاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر ، في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أي افعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها وطاقمها ، المطارات ، أو تسهيلات الملاحة الجوية ، وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملازمة الاخرى لانهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بسرعة وسلامة .



مادة (١٥)

تطبيق المعاهدات المتعددة الأطراف

في حالة إبرام اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل
الجوى ويكون الطرفان المتعاقدان منضمين إليها ، فإنه يجب تعديل هذه
الاتفاقية لتتطابق احكام تلك المعاهدة او الاتفاقية المذكورة .



مادة (١٧)

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية واى تعديلات تدخل عليها لدى منظمة
الطيران المدني الدولي .



مادة (١٨)

انتهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية ، على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي . وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا (١٢) من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للاخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الاخطار قبل انتهاء هذه المدة . واذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الاخطار .



مادة (١٩)

الملاحق

تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءا منها وأي اشارة
الى الاتفاقية تعنى الاشارة الى الملاحق ، مالم ينص صراحة
على غير ذلك .



مادة (٢٠)

ريان المفعول

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ مؤقتا من تاريخ التوقيع عليها بالأحرف الأولى ونهائيا اعتبارا من يوم توقيعها وأتمام الاجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين وتبادل المذكرات الدبلوماسية في هذا الشأن .

واثباتا لذلك فان المندوبين الموقعين أدناه ، بناء على التفويض المعطي لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا هذه الاتفاقية .

وقعت هذه الاتفاقية في يوم ٣١ من مايو ١٩٩٥ في نيودلهي من نسختين باللغات الهندية والعربية والانجليزية ، وجميع النصوص ذات حجية متساوية .

وفي حالة حدوث أي نزاع بشأن تفسير و/أو تطبيق الاتفاقية يعتد بالنص الانجليزي .

عبدالله بن محمد الفزالي
وزير المواصلات

عن حكومة سلطنة عمان

غلام نبي آزاد
وزير الطيران المدني والسياحة

عن حكومة الهند



ملحق
جدول رقم (١)

(١) الطرق الجوية التي يحق للشركتين المعينتين من قبل الهند
استثمارها .

من	الى	نقاط متوسطة	نقاط فيما وراء
(١)	(٢)	(٢)	(٤)

الطريق الأول : نقاط في
الهند
مسقط
نقاط
أي نقطة واحدة في
أوروبا باستثناء المملكة
المتحدة ، ونقطة واحدة
في أمريكا الشمالية

الطريق الثاني : نقاط في
الهند
مسقط
نقاط يتفق
نقاط يتفق
عليها
عليها

(٢) لشركات الطيران المعينة من قبل الهند الحق في الغاء الهبوط ، خلال جميع
أو أي من رحلاتها ، في أي من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و (٤) أعلاه .
شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم (١) .

(٢) يسمح لشركات الطيران المعينة من قبل الهند أن تمارس ، على الطريق الأول ،
الحرية الخامسة لحقوق النقل بين مسقط وأي نقطة واحدة أخرى في أوروبا
باستثناء المملكة المتحدة ، وأي نقطة واحدة في أمريكا الشمالية .



ملحق
جدول رقم (٢)

(١) الطرق الجوية التي يحق للشركتين المعينتين من قبل سلطنة عمان استثمارها :-

من	الى	نقاط متوسطة	نقاط فيما وراء
(١)	(٢)	(٢)	(٤)

الطريق الاول : نقاط في سلطنة عمان	دلهي ، بومباي ، كلكتا ، مدراس ، تريفندرام	نقاط يتفق عليها	ثلاث نقاط يتفق عليها
الطريق الثاني: نقاط في سلطنة عمان	تريفندرام	نقاط يتفق عليها	نقاط يتفق عليها

(٢) لشركات الطيران المعينة من قبل سلطنة عمان الحق في الغاء الهبوط ، خلال جميع أو أي من رحلاتها ، في أي من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و(٤) أعلاه . شريطة ان تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم (١) .

(٢) لايجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق النقل بين الهند ونقاط فيما وراء الهند .

(٤) لايحق خدمة أكثر من نقطة واحدة في الهند في رحلة واحدة .



AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES.

The Government of India and the Government of the Sultanate of Oman

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air service between and beyond their respective territories;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94 thereof; so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
- b) The term "aeronautical authorities" means, in the case of the Government of India, the Director General of Civil Aviation and any person or body authorised to perform any functions at present exercisable by the said Director General of Civil Aviation or similar functions; and in the case of the Government of the Sultanate of



:: 2 ::

Oman, the Minister of Communications and any person or body authorised to perform any functions at present exercisable by the said Minister or similar functions;

- c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 3 of this Agreement;
- d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
- f) the term "capacity" in relation to an aircraft means the pay load of that aircraft available on a route or section of a route and in relation to 'agreed services' means the capacity of the aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route; and
- g) the term "route schedule" means the schedule of routes annexed to this Agreement and any amendments thereto as agreed in accordance with the provisions of Article 16 of this Agreement. The route schedule shall form an integral part of this Agreement.
- h) the term "agreed services" means the capacity to be provided, frequency of services and the nature of service i.e. transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party as agreed by the designated airlines of the Contracting Parties with the approval of the aeronautical authorities.



:: 3 ::

ARTICLE 2

GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled international air services on the routes specified in the Route Schedules of this Agreement. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following rights:

- a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
- b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and
- c) to take up and to put down passengers, cargo, and mail at any point on the specified routes subject to the provisions contained in the route schedules of the present Agreement.

2. Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 3

DESIGNATION OF AIRLINES

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party up to two airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of



:: 4 ::

paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline(s) designated the appropriate operating authorizations.

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require airline(s) designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by designated airline(s) of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline(s) are vested in the Contracting Party designating the airline(s) or in its nationals.

5. When an airline has been so designated and authorised it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the requirements of Article 8 and 10 have been complied with and that a tariff established in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement, is in force in respect of that service.

ARTICLE 4

REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

- a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in the nationals of such Contracting Party;
or



:: 5 ::

- b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
- c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension, or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

3. In the event of action by one Contracting Party under this Article, the rights of the other Contracting Party under Article 13 shall not be prejudiced.

ARTICLE 5

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline(s) of either Contracting Party as well as supplies of fuels, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores (including foods, beverages, and tobacco) introduced into the territory of the other Contracting Party, or taken on board an aircraft in that territory and intended solely for use by or in the aircraft of that airline shall be exempt in the territory of the other Contracting Party from customs duties, inspection fees or similar duties or charges, even though such supplies be used by such aircraft on flights in that territory.

2. Supplies of fuels, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores (including foods, beverages, and tobacco) retained on board an aircraft of the designated airline(s) of one Contracting Party shall be exempt in the territory of the other Contracting Party from customs duties, inspection fees or similar duties or charges, even though such supplies be used by such aircraft on



:: 6 ::

flights in that territory. Goods so exempted may only be unloaded with the approval of the Customs Authorities of the other Contracting Party. Those goods which are re-exported, shall be kept in bond until re-exportation under customs supervision.

3. The charges which either of the Contracting Parties may impose, or permit to be imposed on the designated airline(s) of the other Contracting Party for the use of airports and other facilities under its control shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by the national airlines of the Contracting Party engaged in similar international air services.

ARTICLE 6

APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws and regulations of each Contracting Party shall apply to the navigation and operation of the aircraft of the airlines designated by one Contracting Party during entry into, stay in, departure from, and flight over the territory of the other Contracting Party.

2. The laws and regulations of each Contracting Party relating to the arrival in, or departure from its territory of passengers, crews, and cargo and in particular regulations regarding passports, customs, currency and medical and quarantine formalities shall be applicable to passengers, crews, and cargo arriving in, or departing from the territory of one Contracting Party in aircraft of the airline(s) designated by the other Contracting Party.

3. Airline(s) designated by each Contracting State shall comply with the laws of the other State as to the admission to, or taking out from its land of animals and plants, while its aircraft enter into, stay in, or depart from the territory of that Contracting State.

ARTICLE 7

PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED SERVICES

1. There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to



operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airline(s) of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline(s) of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo including mail originating from, or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline(s). Provision for the carriage of passengers and cargo including mail both taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline(s) shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

- a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline(s);
- b) traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
- c) the requirements of through airline operation.

ARTICLE 8

APPROVAL OF TIME - TABLES

The designated airline(s) of each Contracting Party shall submit for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party not later



than thirty (30) days prior to the inauguration of services on the specified routes the flight time-tables including the types of aircraft to be used. This shall likewise apply to later changes. This time limit may be reduced subject to the consent of the said authorities.

ARTICLE 9

TARIFFS

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airline(s) of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article, shall, if possible, be agreed to by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association, or similar internationally recognized industry body.

4. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least forty-five (45) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this



:: 9 ::

Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 13 of this Agreement.

8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it would otherwise have expired.

ARTICLE 10

Exchange of information

1. The Aeronautical Authorities of both Contracting Parties shall exchange information, as promptly as possible, concerning the current authorizations extended to their respective designated airline(s) to render service to, through, and from the territory of the other Contracting Party. This will include copies of current certificates and authorizations for services on specified routes, together with amendments, exemption orders and authorised service patterns.



:: 10 ::

2. Each Contracting Party shall cause its designated airline(s) to provide to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, copies of tariffs, schedules, including any modifications thereof, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services, including information about the capacity provided on each of the specified routes and any further information as may be required to satisfy the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed.

3. Each Contracting Party shall cause its designated airline(s) to provide to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried on the agreed services showing the points of embarkation and disembarkation.

ARTICLE 11

TRANSFER OF EARNINGS

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline(s) of the other Contracting Party the right to transfer the excess of receipts over expenditure earned by the airline(s) in the territory of the first Contracting Party in connection with the carriage of passengers, mail and cargo, on the basis of the prevailing Foreign Exchange market rates for current payments.

2. If the Contracting Party imposes restrictions on the transfer of excess of receipts over expenditure by the designated airline(s) of the other Contracting Party, the latter shall have a right to impose reciprocal restrictions on the designated airline(s) of the first Contracting Party.

ARTICLE 12

CONSULTATION

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the annexed Schedules and shall consult when necessary to provide for modification thereof.



:: 11 ::

2. Either Contracting Party may request consultation in writing which shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt of the request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period.

ARTICLE 13

SETTLEMENT OF DISPUTES

If any dispute arises relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiation between themselves, failing which the dispute shall be referred to the Contracting Parties for settlement through bilateral discussions or such other modes of settlement envisaged in the Charter of the United Nations as may be mutually agreed upon by the Contracting Parties.

ARTICLE 14

AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September, 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December, 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September, 1971.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.



:: 12 ::

3. The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organisation and designed as Annexures to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry on items, baggage, cargo, and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

ARTICLE 15

ADAPTATION OF MULTILATERAL CONVENTIONS

In the event of the conclusion of a Multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement.



:: 13 ::

ARTICLE 16

AMENDMENT

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement including the Route Schedules, which shall be deemed to be part of the Agreement, it shall request for consultations in accordance with Article 12 of this Agreement. Such consultations may take place by exchange of communications.

2. If the amendment relates to the provisions of the Agreement other than of the Route Schedules, the amendment shall be approved by each Contracting Party in accordance with its constitutional procedure and shall come into effect when confirmed by an exchange of Notes through the Diplomatic channel.

3. If the amendment relates only to the provisions of the Route Schedules, it shall be agreed upon between the Aeronautical Authorities of both the Contracting Parties.

ARTICLE 17

REGISTRATION WITH THE
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION

The present Agreement and any amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 18

TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry date of this period. In the absence of acknowledgment of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.



:: 14 ::

ARTICLE 19

ANNEXE

The Annexe to this Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include references to the Annexe, except where otherwise expressly provided.


ARTICLE 20


COMING INTO FORCE

The Agreement shall come provisionally into force from the date of initialling and definitely on the day of signature following the completion of the constitutional requirements of each Contracting Party and exchange of diplomatic notes in this regard.

IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done this 31st day of May, 1995 at New Delhi in duplicate in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In the event of there being any dispute as to the interpretation and/or the application of the Agreement the English text shall prevail.


(GHULAM NABI AZAD)
MINISTER FOR CIVIL
AVIATION AND TOURISM
FOR THE GOVERNMENT
OF INDIA


(SALIM BIN ABDULLA AL-GHAZALI)
MINISTER OF COMMUNICATIONS
FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN



सत्यमेव जयते

ANNEX

SCHEDULE 1

1 Routes to be operated by the designated airlines of India.

<u>From</u>	<u>To</u>	<u>Intermediate points</u>	<u>Points Beyond</u>
1.	2.	3.	4.
Route-1	Points in India.	Muscat Points to be agreed	Any one point in Europe excluding U.K., and one point in North America.
Route-2	Points in India.	Muscat Points to be agreed	Points to be agreed.

2. The designated airline(s) of India may, on all or any flights, omit calling at any of the points in columns (3) and (4) above, provided that the agreed services on these routes begin at a point in column (1).

3. On Route 1, the designated airlines of India will be permitted to exercise fifth freedom traffic rights between Muscat and any one point in Europe excluding U.K., and any one point in North America.



ANNEX

SCHEDULE 2

1. Routes to be operated by the designated airlines of the Sultanate of Oman.

<u>From</u>	<u>To</u>	<u>Intermediate points</u>	<u>Points Beyond</u>	
1.	2.	3	4.	
Route-1	Points in Oman.	Delhi Bombay Calcutta Madras Trivandrum	Points to be agreed	Three Points to be agreed
Route-2	Points in Oman.	Trivandrum	Points to be agreed	Points to be agreed

2. The designated airline(s) of the Sultanate of Oman may, on all or any flights, omit calling at any of the points in columns (3) and (4) above, provided that the agreed services on these routes begin at a point in column (1).

3. No fifth freedom traffic rights may be exercised between India and points beyond India.

4. Not more than one point in India shall be served on any one service.